न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
104 / 2013	25 / 10 / 2011	13 / 10 / 2025

साहबलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी कुम्हारिया उर्फ छत्रपुरा तहसील पीपल्दा
वादी

बनाम

1. रेवड़ीलाल पत्र कान्हा जाति माली नि० अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
2. छीतरलाल पुत्र नारायण जाति माली नि0 अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
3. गुलाबबाई पुत्री नारायण जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
4. धन्नीबाई पुत्री नारायण जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
5. रामदेव पुत्र मोडूलाल जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
6. रामावतार पुत्र मोडूलाल जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
7. चमेली बेवा मोडूलाल जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड0।
प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एस0टी0एच0 आब्दी एड0।

वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुराना ख.नं. मिन 28 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 46 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 184 रकबा 15 बिस्वा, ख.नं. 187 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 190 रकबा 9 बिस्वा,ख0नं0 199 रकबा 8 बिस्वा, ख.नं. 197 रख्या 4 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 320 रख्या 4 बीघा ख.नं. 472 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा वाके माल ग्राम अयाना पटवार क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड में कान्हा पत्र रशमा जाति माली नि. अयाना खातेदार है तथा वाद पत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2033 से 36, व मिलान क्षेत्रफल, वाद पत्र संलग्न है। खातेदार कान्हा पुत्र रामा ने दिनांक 23–11–1981 को पुराने ख. नं. मिन 28 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा में से, दक्षिण दिशा की ओर की भूमि वादी को 1 बीघा भूमि 1000/– रू. मे विक्रय की थी जिसका पंजीयन खातेदार कान्हा पत्र रामा द्वारा वादी के पक्ष में उप–पंजीयक कार्यालय पीपल्दा विक्रय की, जिसकी शिनाख्त भेरूलाल व रामनारायण द्वारा की गई। वादी द्वारा क्रय की गई, भूमि की राशि बिल एवज 1000/– रु. वक्त पंजीयन दिनांक 3–12–1984 प० सं० 1, जिल्द सं० 13, पृ० संख्या 7374 क्रम है. 156 पर पंजीबद किया गया तथा विक्रेता द्वारा वक्त पंजीयन पश्चात मौके पर जाकर गवाह, गवाही के समक्ष, वादी/क्रेता को कब्जा दिया गया। उक्त कृषि आराजीयात का सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमैंट किया गया, पुराने ख. नं. मिन 28 रकबा 15 बीघा बिस्वा जिसके हाल ख.नं. 75 रकबा 1.61 है० से ख.नं. 76 रकबा 0.70है0, किता 2 कुल रकबा 2.34है० पुराने ख.नं. का रकबा 2.50 है0 के समय तुल्य बनता है, इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदार कान्हा पुत्र रामा मालिक का रकबा 0.19है0 कमी रकबा कर दिया गया, जो सेटलमेंट विभाग को कमी–ज्यादा रकबा करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नही है, जिसे दुरुस्त करवा कर, कमी रकबे की पूर्ति करवाये जाने का कानूनी अधिकारी है। खातेदार कान्हा पुत्र रामा फोत हो चुका है, जिसके वारिस पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 है। प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 का पूर्व पुराना ख.नं. 27 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा जिसका सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट किया गया जिसके हाल ख.नं. 34 रकबा 0.42 है०, ख.नं. 39 की रकबा ०.91 है. किता 2 की कुल रकबा 1.33 है0 अंकित दर्ज किया गया, जब कि पुराने रकबे के मुताबिक प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 रकबा 1.04 है0 के समतुल्य बनता है, इस प्रकार सेटलमेंट

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

विभाग द्वारा प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 के रकबे मे, पुराने रकबे के मुकाबले हाल रकबे 0.29 है० भूमि अधिक दर्ज कर दी गई है, उक्त रकबे मे वादी का रकबा 0.16 है० भूमि प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 के रकबे में मिला दी गई है, जिसे सेटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी उक्त रकबे को दुरुस्त करवाकर, पुनः अपने रकबे में कर्मी पूर्ति करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण, विक्रय की गई उक्त वर्णित ख.नं. मिन 28 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा मे से 1 बीघा का नामान्तरण समय रहते हुए अपने नाम नही खुलवा सका इसका फायदा उठा कर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 अवैध रूप से वादी के कब्जे काश्त की उक्त भूमि की मेड़ के तोड़कर अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा मेड़ को तोड़कर, उक्त क्रय शुदा भूमि को अपने रकबे में मिलाने एवं कब्जा कर ने पर आमादा है। प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 द्वारा दिनांक 25.9.2011 को धमकी दी कि उक्त जमीन हमारे खाते की है, तेरा कोई उक्त भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नही है, मेरे मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है, इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वाद पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की सादर डिकी पारित की जावे कि पुराने ख.नं. मिन 28 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा के हाल नये ख.नं. 75 रकबा 1.61 है0, ख.नं. 76 रकबा 0.70 है० कित्ता 2 रकबा 2.36 है. में की गई सेटलमेंट विभाग द्वारा कमी रकबा 0.29 है० की पूर्ति पुराने ख. नं. 27 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा जिसका हाल ख.नं. 34 रकबा 0.42है0, ख.नं. 39 रकबा 0.91 है० किता 2 कुल रकबा 1.33 है. मे से 0.16 है० प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 की कम करके, वादी के खाते राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे तथा वादी की भूमि का पृथक से खाता दर्ज कर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 को स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादी के शांति कब्जे काश्त में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 किसी प्रकार से बेदखल नही करे ऐसा कृत्य न तो स्वंय करे और न ही वादी को उक्त भूमि से बेदखल अपने किती प्रतिनिधि से करवाये ।

वादी की ओर से वाद श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से एस0टी0एच0 आब्दी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5, 6, 7, 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी कम 1 व 2 काफी अवसर दिए जाने के बाद जवाब पेश नहीं अतः जवाब बंद किया जाकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 साहबलाल, पी0डब्ल्यू0 2 गिर्राज, पी0डब्ल्यू0 3 रामनारायण, साहबलाल ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2032–36 ग्राम अयाना की खाता संख्या नई 35 प्रदर्श पी–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–2, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2041–60 भू–प्रबंधक विभाग प्रदर्श पी–3, विक्रय पत्र प्रदर्श पी–4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 ग्राम अयाना प्रदर्श पी–5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 ग्राम अयाना प्रदर्श पी–6, नक्शा ट्रेस सन 1977 प्रदर्श पी–7, नक्शा ट्रेस 1977 प्रदर्श पी–8 पेश किए।

बहस सुनी गई। बहस के तथ्यो व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन व अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा क्रय की गई आराजी ख0नं0 28 मि0 में से 1 बीघा का नामान्तरण नहीं खुलने से वर्तमान रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम खातेदारी में नहीं आया है। परन्तु वादी द्वारा क्रय की गई भूमि प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज कर देने बाबत ख0नं0 27 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा पुराने खसरा नम्बर का नया नम्बर 34 रकबा 0.42है0 व 39 रकबा 0.91है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 बनाया है। परन्तु पत्रावली में शामिल जमाबन्दी ग्राम अयाना सम्वत 2025–28 के खाता सं0 73 की नकल में ख0नं0 27 मि0 रकबा 6.09है0, गज्जा नारायण पिता बाला जाति माली के नाम दर्ज है एवं उक्त खाते में कुल किता 5 कुल रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा है जिसके 6.34है0 बनते है। उक्त खाते से संबंधित वर्तमान खातेदार की जमाबन्दी ग्राम अयाना सं0 2066–69 के खाते सं0 49 का कुल

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

किता 4 एवं कुल रकबा 3.23है0 है अर्थात प्रतिवादी का ख0नं0 34 व 39 में रकबा बढ रहा है। परन्तु कुल खाते में सिर्फ 0.06है0 की वृद्धि है। प्रतिवादी सं0 2 ता 7 की सेटलमेंट पूर्व की जमाबन्दी एवं सेटलमेंट के पश्चात की उक्त जमाबन्दी के सम्पूर्ण खसरों का मिलान क्षेत्रफल एवं संबंधित वर्तमान जमाबन्दी पेश नहीं होने से यह बताना संभव नहीं है कि आया वादी के खसरे की कमी/बेशी कौनसे खसरो से हुई है। प्रतिवादी के सम्पूर्ण खातों की कुल रकबा (सेटलमेंट पूर्व व पश्चात) सभी खातों का पूर्व व पश्चात खसरा नं0 (मिलान क्षेत्रफल) इत्यादि साक्ष्य की कमी के कारण वादी वाद साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो।

सहायक कलेक्टर
फास्ट-ट्रेक इटावा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
104 / 2013	25 / 10 / 2011	13 / 10 / 2025

साहबलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी कुम्हारिया उर्फ छत्रपुरा तहसील पीपल्दा

वादी

बनाम

1. रेवड़ीलाल पत्र कान्हा जाति माली नि० अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
2. छीतरलाल पुत्र नारायण जाति माली नि0 अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
3. गुलाबबाई पुत्री नारायण जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
4. धन्नीबाई पुत्री नारायण जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
5. रामदेव पुत्र मोड़ूलाल जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
6. रामावतार पुत्र मोड़ूलाल जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
7. चमेली बेवा मोड़ूलाल जाति माली नि. अयाना तह–पीपल्दा जि0 कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री हरिमोहन मीणा एड0।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– एस0टी0एच0 आब्दी एड0।

वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एड0 एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 13.10. 2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर

इटावा जिला कोटा (राज.)